



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 1421 / 06 एम.ए. ला. 20

देहरादून, दिनांक 14 जुलाई, 2020

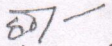
: कार्यालय ज्ञाप :

विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थापित मुख्य अभियन्ता स्तर-11 (अधिष्ठान) को निम्नलिखित प्रकरणों के निस्तारण/कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है :-

1. समस्त कार्मिकों के स्थाई/अस्थायी अग्रिमों (G.P.F.) का निष्कासन/चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण।
2. परिवाद वर्ग से सम्बन्धित प्रकरणों में सामान्य प्रकृति के शिकायतों का शासन को प्रेषण/निष्पादन/अधीनस्थों से पत्राचार।
3. प्रमुख/मुख्य संवर्ग/वृत्तीय/खण्डीय संवर्ग के समस्त श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति/स्थायीकरण।
4. विभिन्न गैर तकनीकी कर्मचारी संगठनों की ग्रीवान्स।
5. गैर तकनीकी कार्मिकों के वेतन/भत्तों की स्वीकृति।
6. मानव अधिकार आयोग/एन0जी0टी0 से सम्बन्धित वाद प्रकरण।
7. विभागाध्यक्ष कार्यालय के गैर तकनीकी कार्मिकों तथा सहायक अभियन्ता स्तर तक के कार्मिकों का समस्त प्रकार का अवकाश।
8. सहायक अभियन्ता स्तर के कार्मिकों एवं उससे न्यून कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का रख-रखाव एवं पत्राचार।

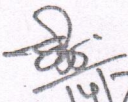
उक्त के अतिरिक्त पूर्व में सौंपे गये कार्यों एवं समय-समय पर शासन/अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये दायित्वों/निर्देशों का निर्वहन एवं बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।


(हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)/क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/पी0एम0यू0(ए0डी0बी0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित उपरोक्त प्रकरणों से सम्बन्धित पत्राचार आदि सीधे मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान) से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अधोहस्ताक्षरी को सीधे वही प्रकरण संदर्भित किये जाय जिन पर नीतिगत निर्णय लिये जाने हो अथवा आपसे सीधे ही सूचना मांगी गयी हो।
5. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर-1/11/ (अधिष्ठान)/नियोजन, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. समस्त तकनीकी अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-1/11, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
8. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-क, ख, ग, घ, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
9. वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
10. आई0टी0 सेक्शन, (Website हेतु)।


14/7
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।
14.7.20